



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062020-219963
CG-DL-E-16062020-219963

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]
No. 296]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2020/ज्येष्ठ 26, 1942
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2020/JYAISHTHA 26, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2020

सा.का.नि. 377 (अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रस्तावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से जब इस अधिसूचना की प्रतियां, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा।

2. कोई आक्षेप या सुझाव, जो किसी व्यक्ति से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के भीतर प्राप्त किए जाते हैं, पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (एमवीएल, टोल एवं आइटी), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे अथवा jspb-morth@gov.in; पर ई-मेल किए जा सकेंगे।

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केंद्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2020 कहा जाएगा।
(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 138 में, उप नियम (4) के खंड (घ) में, "गैर ग्रीसीय आधार में 0.5 प्रतिशत सेंट्रीमाइड बी पी वाली हों," शब्दों अक्षरों और अंकों के पश्चात "1% जेल की फेराक्राइलम ट्यूब" शब्द, अंक और अक्षर का विलोप किया जाए।

[फा. सं. आरटी -11036/86/2017 - एमवीएल]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

नोट – मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ) दिनांक 2 जून 1989 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार उन्हें अधिसूचना सं. दिनांक द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th, June 2020.

G.S.R.377. (E)— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of 30 days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period aforesaid will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (MVL,Toll& IT), email: jspb-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (.....Amendment) Rules, 2020.
 - (2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 138, in sub-rule (4), in clause (d), after the words and letters "Centrimide B.P. in a non-greasy base," the words and figure "a tube of Feracrylum of 1% gel " shall be omitted.

[F.No. RT-11036/86/2017-MVL]

Priyank Bharti, Jt. Secy.

Note.-The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd day of June, 1989 and lastly amended vide notification numberdated